

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO.18 OF 2024

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 586 OF 2023

IN THE MATTER OF:
NARENDRA SIROHI

.... APPLICANT

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS.

.... RESPONDENTS

INDEX

Sl. No.	Particulars	P. ages
1.	Response on behalf of the Respondent No.4, U.P. Pollution Control Board.	1 – 6
2.	<u>ANNEXURE-1</u> Inspection Report.	7 – 1
3.	<u>ANNEXURE-2</u> Analysis Report.	11 – 14
4.	<u>Annexure-3</u> True copy of the Closer Order	15 – 24
6.	<u>ANNEXURE-4&5</u> Inspection Report alongwith copy of directions regarding.	25 – 34

NEW DELHI
DATED: 22.10.2024



(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board,

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: pradeepmisra@yahoo.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**Execution Application No.18/2024
In
Original Application No. 586/2023**

IN THE MATTER OF:

Narender SirohiApplicant
Versus
State of Uttar Pradesh & Ors.Respondent(s)




**RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-3,
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN
COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 24.07.2024
PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

I, Pankaj Yadav aged about 44 years S/o Shri Lalmani
Yadav, presently posted as Regional Officer, U.P. Pollution
Control Board (hereinafter referred as UPPCB), Mathura do

hereby solemnly affirm and state on oath as under:

That the deponent is working on the above mentioned
post and being authorized officer in the captioned
matter and well conversant with the facts and

(Signature)



A. Kumar
AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VIII, Devi Ganj, Anaiya
Adampur, Janubi, Lucknow

21/10/2024

circumstances of the case and as such I am well conversant to swear this affidavit.

2. That it is most respectfully submitted that this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 04.10.2023 passed in Original Application No. 586/2023, Narender Sirohi Versus State of Uttar Pradesh & Ors., had disposed of the original application by constituting a Joint Committee comprising of the officers nominated by the Member Secretary, CPCB, Member Secretary, UPPCB and the District Magistrate, Mathura with the following directions:

...4. The Committee will ensure collection of water sample of discharge from the factories in the concerned area and get the report of the sample and submit it before the Tribunal. The Committee will also ascertain the truthfulness of the incident reported in the newspaper and the allegation of release of untreated chemicals from the factories. The Committee will also ensure the adequate



A. K.
AMBRISH KUMAR
 ADVOCATE & NOTARY
 VIII. Devi Ganj, Anaiya
 Adampur, Janubi, Lucknow


21/10/2024

prevention/remedial measures, if the violations of environmental laws is found. Let the report be submitted by the Committee in this regard before the Registrar General of the Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, matter will be listed for consideration before the Court...

3. That in compliance to the above direction, a Joint Committee has carried out the inspection of the 13 units as mentioned in Original Application on 23.01.2024 and 24.01.2024 including the monitoring of Kosi Drain and submitted its Report on 27.06.2024, which has already been placed on record.

4. That after perusing the Joint Committee Report this Hon'ble Tribunal vide its order dated 24.07.2024 has passed the following directions:

...9. Having regard to such situation we have no option to direct the personal appearance of respondent no. 6 through virtual mode on the next date of hearing



A.K.
AMBRISH KUMAR
 ADVOCATE & NOTARY
 VIII. Devi Ganj, Anaiya
 Adampur, Janubi, Lucknow
 21/10/2024

to disclose the correct position. We also find that though the violation have been found by the Joint Committee and notice have been served upon by the Respondent no. 3 UPPCB which is regulatory body but no one has appeared on behalf of UPPCB today to appraise the Tribunal about the correct factual situation. Hence, we also require the Member Secretary, UPPCB to appear virtually on the next date of hearing....

5. That in compliance to the above direction and in the light of the Joint Committee Report, UPPCB has inspected and verified the compliance status of the units in question on different dates. The status report of the units is being annexed herewith in tabulated form as **Annexure No.-R3/1**.

6. That during the inspection carried out on 02.09.2024 and 03.09.2024, officials of the UPPCB have collected the water samples from the outlet of the Effluent Treatment Plant (ETP) and analyzed the same in the laboratory authorized by the UPPCB. The Analysis



A.K
AMBRISH KUMAR
 ADVOCATE & NOTARY
 VIII. Devi Ganj, Anaiya
 Adampur, Janubi, Lucknow

21/10/2024

Reports of the units are collectively being annexed herewith as **Annexure No.-R3/2.**

7. That it is pertinent to mention here that during the inspection dated 04.10.2024 of M/s Arya Industries and M/s Redox Denim Hub were found non-operational from its inception.

8. That it is also worthwhile to mention here that the 6 units i.e. M/s Swarn Tex Prints, M/s Balaji Color Care, M/s Shri Balaji Processor, M/s Shailendra Dyeing, M/s Denim Touch and M/s R. K. Process were found non-complying with respect to the discharge norms against whom closure orders has been issued. A copy of the closure orders against the units are collectively being annexed herewith as **Annexure No.-R3/3.**

9. That rest 05 units i.e. M/s Jainco India, M/s Shriji Polyfeb Pvt. Ltd., M/s T.D. Process, M/s Vaishnavi Tex

A.K.
AMBRISH KUMAR
 ADVOCATE & NOTARY
 Vill. Devi Ganj, Anaiya to
 Adampur, Janubi, Lucknow

21/10/2024

and M/s SPS Processor Pvt. Ltd. were found complying to the prescribed discharge norms during the inspection dated 02.09.2024. The directions have been issued to these units on 09.08.2024, 05.09.2024, 05.09.2024, 05.09.2024 and 09.08.2024 respectively

[Signature]

for compliance of recommendations made by the joint committee. The inspection reports along with copy of directions regarding all these industries are collectively being annexed herewith as Annexure No.-R3/4 & R3/5.

10. That the annexure annexed to the present response are correct and true to my knowledge and belief on the basis of the records.
11. That the above response on behalf of the Respondent No.-3, Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi for perusal and kind consideration.




Deponent

VERIFICATION

Ak
AMBRISH KUMAR, Advocate & Notary, VIII. Devi Ganj, Adampur Janubi, Lucknow
I was called at Lucknow on this 21st day of October, 2024 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.


I know and identify the deponent who has signed/put T.. before me


Deponent

Compliance Status of Industries as per Original Application No.- 586/2023 Narender Sirohi Vs State of Uttar Pradesh & Ors.

S.No	Name Of Industry	Joint committee observation /Suggestion	Compliance Status As on 14.10.2024	Water Analysis reports within norms(Y/N)	Action Taken
1	M/s Arya Industries, Plot no-D-52, UPSIDC, IndustrialArea, Kosi, Ext I, Kotwan, Chhata, Mathura.	1. SPCB may verify the actual status of unit through the status of consent to establish or consent to operate issued against this plot number.	Not in production	-	-
2	M/s Swarn Tex Prints, Plot no-D-25 & 26 UPSIDC, IndustrialArea, Kosi Kotwan, Chhata, Mathura.	1. Unit shall produce NOC for CGWA for groundwater abstraction. 2. Unit shall repair flow meter of borewell – 2(near main gate) 3. Unit shall maintain logbooks for freshwater consume by tankers. 4. Unit shall maintain logbooks for chemical consumes in E.T.P. 5. Unit shall maintain logbooks for sludge collection.	1. Complying 2. Complying 3. Non- Complying 4. Non- Complying 5. Non- Complying	NO	Closure Order Issued
3	M/s Jainco India, Plot no-D-22 UPSIDC, IndustrialArea, Kosi kalan, Chhata, Mathura.	1- Unit shall produce NOC for CGWA for groundwater abstraction. 2- Unit shall install flow meter at ETP inlet and outlet. 3- Unit shall install flow meter at borewell. 4- Unit shall install separate energy meter at ETP unit. 5- Unit shall install OCEMS at ETP outlet. 6- Unit shall maintain logbooks for ETP inlet, outlet, electricity consumption, daily analysis of ETP inlet & outlet parameters and chemicals consumed in ETP. 7- Unit shall maintain raw material (Tyre) and production log	1- Complying 2- Complying 3- Complying 4- Complying 5- Non- Complying 6- Complying . 7- Complying 8- Non- Complying	YES	Direction issued by Board on dated 09.08.2024
4	M/s Redox Denim Hub, Plot no-F-100, UPSIDC, Industrial Area, Kosi Kotwan, Ext. - I, Chhata,	1. SPCB may verify the actual status of unit through the status of consent of establish or consent to operate issued against this plot number.	Not in production	-	-

5	M/s Balaji Color Care, Plot no-E-118, UPSIDC, Industrial Area, Kosi Kotwan, Ext.- 1, Chhata, Mathura.	<p>1. Unit shall provide consent to operate under section 25/26 of the Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1947 and under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981, for carrying out Dyeing & Washing of denims.</p> <p>2. Unit shall provide hazardous waste Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 aform UPPCB.</p> <p>3. Unit shall provide No Objection Certificate (NOC) from CGWA as permission to abstract groundwater.</p> <p>4. Unit shall install flowmeters at ETP Inlet and ETP Outlet.</p> <p>5. Unit shall install online continuous effluent monitoring system (OCEMS) at ETP Outlet.</p> <p>6. Unit shall provide supporting documents i.e. Manufacturing process flow chart, logbook of total production, fresh water consumption, ETP process flowchart, waste water generation, waste water discharge, chemical consumption electricity</p>	<p>1. Complying</p> <p>2. Non- Complying</p> <p>3. Non- Complying</p> <p>4. Complying</p> <p>5. Non- Complying</p> <p>6. Non- Complying</p> <p>7. Non- Complying</p>	NO	Closure Order Issued
---	---	---	--	----	----------------------

6	M/s Shri Balaji Processor, Plot no-F- 91, UPSIDC, IndustrialArea, Kosi Kotwan,Ext.- 1, Chhata, Mathura.	<ol style="list-style-type: none"> Unit shall apply for hazardous waste Authorisation under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. Unit shall install flowmeters at borewell and ETP inlet. Unit shall install OCEMS at ETP outlet. Unit shall an agreement with TSDF site for disposal of Hazardous waste. Unit shall provide Form -10 for safe disposal of solid waste. Unit shall provide Manufacturing process flow chart for each product, ETP process flowchart, logbooks for Sludge generation & sludge disposal, chemical consumption and electricity consumption. 	<ol style="list-style-type: none"> Non- Complying Complying Non- Complying Non- Complying Non- Complying Non- Complying 	NO	Closure Order Issued
7	M/s Shailendra Dyeing, Plot no-F-75, UPSIDC, IndustrialArea, Kosi Kotwan, Ext.- 1, Chhata, Mathura.	<ol style="list-style-type: none"> Unit shall expedite issuance of NOC from CGWA and authorization for hazardous waste handling from concerned. Unit shall maintain logbooks for sludge collection, ground water consumption and dialy production. 	<ol style="list-style-type: none"> Complying Non- Complying 	NO	Closure Order Issued
8	M/s Shriji Polyfeb Pvt, Ltd., Plot no-H- 60, UPSIDC, Industrial Area, Kosi Kotwan, Ext.- 1, Chhata, Mathura.	<ol style="list-style-type: none"> Unit shall expedite renewal of its CTO under Air and Water Act. Unit shall rectify the non-working flowmeter installed at its second borewell for proper maintenance of logbook. Unit shall maintain logbooks for ETP inlet, ETP outlet, Sludge collection, borewell water abstraction, daily production and 	<ol style="list-style-type: none"> Complying Complying Non- Complying 	YES	Direction issued by Board on dated 05.09.2024
9	M/s T.D. Process, Plot no-F- 53, UPSIDC, IndustrialArea, Kosi Kotwan, Chhata, Mathura.	<ol style="list-style-type: none"> Unit shall be re-inspect for compliance verification. 	<ol style="list-style-type: none"> Complying 	YES	Direction issued by Board on dated 05.09.2024
10	M/s Vaishnavi Tex. Print, Plot no-E-124, UPSIDC, IndustrialArea, Kosi Kotwan,Ext.- 1, Chhata, Mathura.	<ol style="list-style-type: none"> Unit has shall apply for No Objection Certificate (NOC) from CGWA for groundwater abstraction. Unit shall install flowmeters at borewell at ETP inlet and ETP outlet. Unit shall install OCEMS at ETP outlet. Unit shall maintain logbooks for solid waste generation & disposal, chemical consumption and electricity consumption 	<ol style="list-style-type: none"> Non- Complying Complying Non- Complying Complying 	YES	Direction issued by Board on dated 05.09.2024
11	M/s Denim Touch, Plot no-E- 117, UPSIDC, IndustrialArea, Kosi Kotwan,Ext.- 1, Chhata, Mathura.	<ol style="list-style-type: none"> Unit shall produce certificate of under the provisions of Hazardous and other Wastes (Management and Transboundary Movement) Ruled, 2016. Unit shall Produce NOC form CGWA for groundwater abstraction. Unit shall install flow meter at ETP inlet and outlet. Unit shall install flow meter at borewell. Unit shall install separate energy meter at ETP unit. Unit shall install OCEMS at ETP outlet. Unit shall maintain logbooks for ETP inlet, outlet, electricity consumption, daily anlysis of ETP inlet & outlet parameters and 	<ol style="list-style-type: none"> Non- Complying Complying Complying Complying Complying Non- Complying Non- Complying Non- Complying 	NO	Closure Order Issued

12	M/s R.K. Process, Plot no-F-88, UPSIDC, Industrial Area, Kosi Kotwan, Ext. - 1, Chhata, Mathura.	<p>1. Unit shall obtain valid authorization for hazardous waste disposal and NOC from CGWA for groundwater abstraction.</p> <p>2. Unit shall sign an agreement with any TSDF agency for safe collection and disposal of hazardous chemical sludge.</p> <p>3. Unit shall install flowmeters at ETP inlet, ETP outlet, borewell and maintain respective logbooks.</p> <p>4. Unit shall CCA, Unit was given consent to treat 40 KLD of its domestic sewage through ETP and 2 KLD through septic tank. SPCB may please verify the consent conditions.</p> <p>5. Also, as per consent, Unit shall install RO Plant for recycle and reuse treated wastewater received through ETP.</p>	<p>1. Non- Complying</p> <p>2. Non- Complying</p> <p>3. Non- Complying</p> <p>4. Complying</p> <p>5. Complying</p>	NO	Closure Order Issued
13	M/s SPS Processor Pvt. Ltd, Plot no A -2, UPSIDC, Industrial Area, Kosi Kotwan, Chhata, Mathura.	<p>1- Unit shall install OCEMS at the outlet of ETP.</p> <p>2- Unit shall provide supporting logbooks where MEE & ATFD condensate are being used.</p> <p>3- Unit shall provide supporting documents logbooks where RO reject is being used.</p>	<p>1- Non- Complying .</p> <p>2- Complying</p> <p>3- Complying</p>	ZLD	Direction issued by Board on dated 09.08.2024



REGIONAL LABORATORY MATHURA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
65, Baldevpuri, Maholi Road, Post-Krishna Nagar, Mathura

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28062145/Mathura/2024

Date: 27/09/2024

- 1- Name of Industry: SHREEJI POLYFAB PRIVATE LIMITED, H-61, Kosi Kotwan Extension-I, UPSIDA, Kosi, Distt- Mathura, MATHURA,
- 2- Address of Industry: H-61, Kosi Kotwan Extension-I, UPSIDA, Kosi, Distt- Mathura, MATHURA,
- 3- District: Mathura
- 4- Description about sampling point: Outlet of RO
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: R.V Singh ASO & Chandra shekhar AEE
- 7- Colour and Odour: colourless odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 LTR JERICAN
- 9- Date of Sample Collection: 03/09/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Mathura
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/09/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.1	-	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103- 105 °C 2023	mg/l	35	-	10-20000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	13	-	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	80	-	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI), The Environment (Protection) Rules, 1986
source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note - 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Harsh Verma (JRF)]

Authorized by
Dr R V Singh (ASO)

RAGHUVI
R SINGH
Digitally signed by
RAGHUVIR SINGH
Date: 2024.09.27
12:35:59 +05'30'

Pankaj
Yadav
Digitally signed
by Pankaj Yadav
Date: 2024.09.27
12:36:08 +05'30'
Regional Officer



REGIONAL LABORATORY MATHURA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
65, Baldevpuri, Maholi Road, Post-Krishna Nagar, Mathura

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28062178/Mathura/2024

Date: 27/09/2024

- 1- Name of Industry: M/S VAISHNAVI TEX PRINT, Plot No E-124, Kosi Kotwan Industrial Area, Extension-1, Kosi Kalan, Distt-Mathura
- 2- Address of Industry: Plot No E-124, Kosi Kotwan Industrial Area, Extension-1, Kosi Kalan, Distt-Mathura
- 3- District: Mathura
- 4- Description about sampling point: Outlet of ETP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: R.V Singh ASO & Chandra shekhar AEE
- 7- Colour and Odour: colourless odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 LTR JERICAN
- 9- Date of Sample Collection: 03/09/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Mathura
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/09/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	8.3	-	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103- 105 °C 2023	mg/l	44	-	10-20000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	26	-	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	240	-	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note 1 The results in the Test Report relate only to the items tested. 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab

Remark: NA

Analysed by-
[Harsh Verma (JRF)]

Authorized by
Dr R V Singh (ASO)

RAGHUVIR SINGH
IR SINGH
Digitally signed by
RAGHUVIR SINGH
Date: 2024.09.27
12:35:17 +05'30'

Pankaj Yadav
Digitally signed
by Pankaj Yadav
Date: 2024.09.27
12:35:27 +05'30'

Regional Officer



REGIONAL LABORATORY MATHURA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 65, Baldevpuri, Maholi Road, Post-Krishna Nagar, Mathura

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28062282/Mathura/2024

Date: 27/09/2024

- 1- Name of Industry: JAINCO INDIA, D-22, UPSFDC, INDUSTRIAL AREA, KOSI KOTWAN, KOSI KALAN, MATHURA, 281403
- 2- Address of Industry: D-22, UPSFDC, INDUSTRIAL AREA, KOSI KOTWAN, KOSI KALAN, MATHURA, 281403
- 3- District: Mathura
- 4- Description about sampling point: Outlet of ETP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: R.V Singh ASO & Chandra shikhar AEE
- 7- Colour and Odour: colourless odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 LTR JERICAN
- 9- Date of Sample Collection: 02/09/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Mathura
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/09/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.5	-	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 °C 2023	mg/l	64	-	10-20000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	18	-	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	192	-	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note: 1. The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Harsh Verma (JRF)]

Authorized by
Dr R V Singh (ASO)

RAGHUVIR SINGH
IR SINGH
Digitally signed by
RAGHUVIR SINGH
Date: 2024.09.27
12:40:11 +05'30'

Pankaj Yadav
Digitally signed
by Pankaj Yadav
Date: 2024.09.27
12:40:20 +05'30'

Regional Officer



REGIONAL LABORATORY MATHURA
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 65, Baldevpuri, Maholi Road, Post-Krishna Nagar, Mathura

TEST REPORT: WASTE WATER LABORATORY

Ref No: 28062130/Mathura/2024

Date: 27/09/2024

- 1- Name of Industry: T D PROCESS, PLOT NO. F-55, INDUSTRIAL AREA KOSI KITWAN EXTN-I MATHURA, MATHURA, 281403
- 2- Address of Industry: PLOT NO. F-55, INDUSTRIAL AREA KOSI KITWAN EXTN-I MATHURA, MATHURA, 281403
- 3- District: Mathura
- 4- Description about sampling point: Outlet of ETP
- 5- Type of Sample (Grab/Composite/Integrated): Grab
- 6- Sample Collected By: R.V Singh ASO & Chandra shekhar AEE
- 7- Colour and Odour: colourless odourless
- 8- Quantity and Packing: 2 LTR JERICAN
- 9- Date of Sample Collection: 03/09/2024
- 10- Analysis Indented by: RO Mathura
- 11- Date of sample receipt in Lab: 04/09/2024

Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	8.1	-	02-12
Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540 D Total Suspended Solids dried at 103- 105 °C 2023	mg/l	84	-	10-20000 mg/l
BOD, APHA 24th Ed. 3 day 27 °C IS 3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	25	-	1.0 -50000 mg/l
COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	224	-	5.0 -100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI), The Environment (Protection) Rules, 1986 source: www.epcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

*Non-NABL Parameters.

Note 1. The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced except in full, without the written permission of laboratory; 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: NA

Analysed by-
[Harsh Verma (JRF)]

Authorized by
Dr R V Singh (ASO)

RAGHUVIR SINGH
IR SINGH
Digitally signed by
RAGHUVIR SINGH
Date: 2024.09.27
12:36:40 +05'30'

Pankaj
Yadav
Digitally signed
by Pankaj Yadav
Date: 2024.09.27
12:36:48 +05'30'

Regional Officer



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H18885

/सी-4/सहमति-188 /बन्दी/2024

दिनांक- 21-10-24

मै0 बालाजी कलर केयर,
प्लॉट नं0. ई-118, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1,
जनपद-मथुरा।

यह कि मै0 बालाजी कलर केयर, ई-118, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा द्वारा कच्चे माल के रूप में ग्रे-फैब्रिक, हाइड्रोजन पराक्साइड, कलर, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, एन्जाइम, डाई मिक्सर, निड वाशिंग, सोडा आदि का प्रयोग कर डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ फैब्रिक के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-586/2023 नरेन्द्र सिराही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य आच्छादित इकाईयों में यह इकाई भी होने के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के अधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 03.09.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री सूरज सिंह की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 200 के0एल0डी0 स्थापित है। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 का संचालन नहीं हो रहा था तथा उद्योग से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये निस्तारित किया जा रहा था, जिसका नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के बाहर उद्योग द्वारा लगातार रंगीन/प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का नियमित रूप से संचालन/रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा दिनांक 04.10.2024 को प्रेषित आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में द्वारा उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपटित धारा-27(2) के अंतर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच18461/सी-4/सहमति-188/का0ब0नो0/2024 दिनांक 10.10.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा द्वारा इकाई को हस्तगत भी करायी गई परन्तु अद्यावधि तक इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर/अनुपालन आख्या अद्यावधि तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

यह कि उद्योग को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ सं0-186886 दिनांक 19.07.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2024 तक सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं उद्योग द्वारा सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गई है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित थर्ड पार्टी संस्था द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 04.06.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग में ई0टी0पी0 के इनलेट एवं आउटलेट पर मीटर स्थापित नहीं पाये जाने के दृष्टिगत उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच14395/सी-4/सहमति-188/निर्देश/2024, दिनांक 19.07.2024 दिये गये हैं जिसकी अनुपालन आख्या भी इकाई द्वारा अद्यावधि तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित थर्ड पार्टी संस्था द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग अस्थायी रूप से बन्द पाया गया, जिसके अनुक्रम में उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच15671/सी-4/सहमति-191/2024, दिनांक 13.08.2024 द्वारा यथावत् बन्द रखे जाने के निर्देश दिये गये।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.10.2024 एवं निर्देश दिनांक 19.07.2024 एवं दिनांक 13.08.2024 के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा उद्योग का पुनः निरीक्षण दिनांक 14.10.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री सूरज सिंह की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत नहीं था परन्तु उद्योग द्वारा निर्देश दिनांक 19.07.2024 का अनुपालन नहीं किया जा रहा था।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा पत्रांक-891/बी-248/2024, दिनांक 18.10.2024 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति में उद्योग मै0 बालाजी कलर केयर, ई-118, कोसी कोटवन, औद्योगिक

क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर न दिये जाने तथा बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच14395/सी-4/सहमति-188/निर्देश/2024 दिनांक 19.07.2024 का अनुपालन निरीक्षण के समय होते हुये नहीं पाये के दृष्टिगत उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 18.10.2024 के अनुक्रम मै0 बालाजी कलर केयर, ई-118, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपडित धारा-27(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 बालाजी कलर केयर, ई-118, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-186886/UPPCB/Mathura/UPPCBRO/CTO/both/Mathura/2023, दिनांक 19.07.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति को खण्डित (Revoke) किया जाता है।
2. यह कि मै0 बालाजी कलर केयर, ई-118, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
3. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मै0 बालाजी कलर केयर, ई-118, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उक्त के अतिरिक्त मै0 बालाजी कलर केयर, ई-118, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PIxNxRxSxLF) के अनुसार रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 03.09.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक अर्थात् 46 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 4,60,000/- (रू0 चार लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,60,000/- (रू0 चार लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water Pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Atul Singh
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मथुरा।
3. महाप्रबन्धक जल संस्थान, मथुरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें।

Atul Singh
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

etc



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H18 882

दिनांक- 21-10-24

/सी-4/सहमति-172/बन्दी/2024

मै0 शैलेन्द्र डाईंग,

प्लॉट नं0. एफ-75, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कोसी कोटवन, विस्तार-1,

जनपद-मथुरा।

यह कि मै0 शैलेन्द्र डाईंग, एफ-75, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कोसी कोटवन, विस्तार-1, जनपद-मथुरा द्वारा कच्चे माल के रूप में ग्रे फ़ैब्रिक (काटन/पॉलीस्टर), कलर डाइज एण्ड प्रोसेसिंग केमिकल्स आदि का प्रयोग कर डाईंग एण्ड प्रिन्टिंग ऑफ़ फ़ैब्रिक के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-586/2023 नरेन्द्र सिरौही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में आच्छादित इकाईयों में यह इकाई भी होने के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के अधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 08.08.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री शैलेन्द्र सिंह की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत् पाया गया। उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 180 कै0एल0डी0 स्थापित पायी गई परन्तु ई0टी0पी0 का संचालन नहीं किया जा रहा था एवं प्रदूषित उत्प्रवाह सीधे निस्तारित किया जा रहा था, जिसका नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानानुसार प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के बाहर उद्योग द्वारा लगातार रंगीन/प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का नियमित रूप से संचालन/रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की संस्तुति के अनुक्रम में उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपठित धारा-27(2) के अंतर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच18465/सी-4/सहमति-172/का0ब0नो0 /2024 दिनांक 10.10.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसे दिनांक 14.10.2024 को इकाई प्रतिनिधि को क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मियों द्वारा हस्तगत कराया गया। इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.10.2024 के अनुक्रम में अद्यावधि तक कोई प्रतिउत्तर/अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह कि उद्योग को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ सं0-171437 दिनांक 19.12.2022 के माध्यम से दिनांक 31.12.2026 तक सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं उद्योग द्वारा सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गई है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित थर्ड पार्टी संस्था द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 22.05.2024 को किया गया, जिसके अनुपालन में उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 12.07.2024 द्वारा निर्देश दिये गये जिसकी अद्यावधि तक इकाई द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.10.2024 एवं निर्देश दिनांक 12.07.2024 के अनुक्रम में दिनांक 14.10.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री अशोक भारद्वाज की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 18.10.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत् पाया गया। निरीक्षण के समय उद्योग से जनित उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये रंगीन उत्प्रवाह उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित होता पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा पत्रांक-890/बी-588/2024, दिनांक 18.10.2024 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति में मै0 शैलेन्द्र डाईंग, एफ-75, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कोसी कोटवन, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर न दिये जाने तथा निरीक्षण के दौरान उद्योग से जनित उत्प्रवाह को बिना शुद्धिकृत किये रंगीन उत्प्रवाह उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपठित धारा-27(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस की पुष्टि एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली

द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार रू0 10,000/- मात्र प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 18.10.2024 के अनुक्रम मै0 शैलेन्द्र डाईंग, एफ-75, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कोसी कोटवन, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपटित धारा-27(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 शैलेन्द्र डाईंग, एफ-75, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कोसी कोटवन, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-171437/UPPCB/Mathura/UPPCBRO/CTO/both/Mathura/2022, दिनांक 19.12.2024 के माध्यम से निर्गत सहमति को खण्डित (Revoke) किया जाता है।
2. यह कि मै0 शैलेन्द्र डाईंग, एफ-75, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कोसी कोटवन, विस्तार-1, जनपद-मथुरा की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
3. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मै0 शैलेन्द्र डाईंग, एफ-75, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कोसी कोटवन, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।


उक्त के अतिरिक्त मै0 शैलेन्द्र डाईंग, एफ-75, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कोसी कोटवन, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PixNxRxSxLF) के अनुसार रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 08.08.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक अर्थात् 72 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 7,20,000/- (रू0 सात लाख बीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 7,20,000/- (रू0 सात लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water Pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मथुरा।
3. महाप्रबन्धक जल संस्थान, मथुरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

o/c
/k



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या-

H/8003

/सी-4/सहमति-191/बन्दी/2024

दिनांक- 21-10-24

मै0 बालाजी प्रोसेसर्स,
प्लॉट नं0. ई-91, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1,
जनपद-मथुरा।

यह कि मै0 बालाजी प्रोसेसर्स, ई-91, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा द्वारा कच्चे माल के रूप में डाइज, ग्रे-रेडीमेड गारमेन्ट्स/जीन्स, केमिकल/ब्लीचिंग पाउडर आदि का प्रयोग कर डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ ग्रे-रेडीमेड गारमेन्ट्स/जीन्स के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-586/2023 नरेन्द्र सिरौही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में आच्छादित इकाईयों में यह इकाई भी होने के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के अधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 03.09.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री सिकन्दर यादव की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया। निरीक्षण आख्या के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 30 के0एल0डी0 स्थापित है। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 का संचालन नहीं था एवं उद्योग से जनित उत्प्रवाह बिना शुद्धिकृत किये निस्तारित किया जा रहा था जिसका नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के बाहर उद्योग द्वारा लगातार रंगीन/प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का नियमित रूप से संचालन/रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा दिनांक 04.10.2024 को प्रेषित आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में द्वारा उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपटित धारा-27(2) के अंतर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच18466/सी-4/सहमति-191/का0ब0नो0/2024 दिनांक 10.10.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसे क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.10.2024 को इकाई प्रतिनिधि को हस्तगत भी कराया गया परन्तु अद्यावधि तक उक्त कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह कि उद्योग को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ सं0-200442 दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से दिनांक 31.12.2028 तक सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं उद्योग द्वारा सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गई है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित थर्ड पार्टी संस्था द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग अस्थायी रूप से बन्द पाया गया, जिसके अनुक्रम में उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच15671/सी-4/सहमति-191/2024, दिनांक 13.08.2024 द्वारा यथावत् बन्द रखे जाने के निर्देश दिये गये, जिसकी भी अनुपालन आख्या उद्योग द्वारा अद्यावधि तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.10.2024 एवं निर्देश दिनांक 13.08.2024 के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण पुनः दिनांक 14.10.2024 को किया गया, जिसमें पाया गया कि ई0टी0पी0 में केमिकल डोजिंग एरियेशन टैंक की इकाईयां बन्द थी। जिस कारण रंगीन उत्प्रवाह उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित हो रहा था। जिसके अनुक्रम में पत्रांक-891/बी-248/2024, दिनांक 14.10.2024 को द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति में मै0 बालाजी प्रोसेसर्स, ई-91, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर न दिये जाने तथा निरीक्षण के दौरान ई0टी0पी0 में केमिकल डोजिंग, एरियेशन टैंक आदि इकाईयां बन्द पायी गयी, जिस कारण रंगीन उत्प्रवाह उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित होने के दृष्टिगत उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण

निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार रू0 10,000/- मात्र प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 18.10.2024 के अनुक्रम मै0 बालाजी प्रोसेसर्स ई-91, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपटित धारा-27(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 बालाजी प्रोसेसर्स, ई-91, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-200442/UPPCB/Mathura/UPPCBRO/CTO/both/Mathura/2024, दिनांक 14.03.2024 के माध्यम से निर्गत सहमति को खण्डित (Revoke) किया जाता है।
2. यह कि मै0 बालाजी प्रोसेसर्स, ई-91, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
3. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मै0 बालाजी प्रोसेसर्स, ई-91, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उक्त के अतिरिक्त मै0 बालाजी प्रोसेसर्स, ई-91, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PIxNxRxSxLF) के अनुसार रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 03.09.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक अर्थात् 46 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 4,60,000/- (रू0 चार लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,60,000/- (रू0 चार लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिराका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water Pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Hitesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, मथुरा।
3. महाप्रबन्धक जल संस्थान, मथुरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें।

Hitesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

Dr. M. K.

9782004346



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- 118884

/सी-4/सहमति-46/बन्दी/2024

दिनांक- 21-10-24

मै0 स्वर्ण टैक्स प्रिन्ट्स प्रा0लि0,

प्लॉट नं0. डी-25, 26, कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1,

जनपद-मथुरा।

यह कि मै0 स्वर्ण टैक्स प्रिन्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0. डी-25, 26, कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा द्वारा कच्चे माल के रूप में ग्रे क्लॉथ, डाइज एण्ड केमिकल्स आदि का प्रयोग गर कपड़े की रंगाई एवं प्रिन्टिंग के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-586/2023 नरेन्द्र सिरौही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में आच्छादित इकाईयों में यह इकाई भी होने के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के अधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.09.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री संतोष कुमार, प्रबन्धक की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत् पाया गया। उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 500 के0एल0डी0 स्थापित पायी गई। निरीक्षण के दौरान ई0टी0पी0 संचालित नहीं पायी गई एवं इकाई से जनित उत्प्रवाह बिना शुतिद्धकृत किये निस्तारित किया जा रहा था जिसका नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के बाहर उद्योग द्वारा लगातार रंगीन/प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित किया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि उद्योग द्वारा स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का नियमित रूप से संचालन/रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के बाहर उद्योग द्वारा लगातार रंगीन/प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने के अनुक्रम क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा दिनांक 04.10.2024 को प्रेषित आख्या/संस्तुति के अनुक्रम में द्वारा उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपठित धारा-27(2) के अंतर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच18467/सी-4/सहमति-46/का0ब0नो0/2024 दिनांक 10.10.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसकी प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा द्वारा इकाई को दिनांक 14.10.2024 को हस्तगत भी कराया गया। जिसका प्रतिउत्तर अद्यावधि तक इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह कि उद्योग को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ सं0-176921 दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2025 तक शर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं उद्योग द्वारा सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गई है।

यह कि उक्त के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.09.2024 में पायी गई कमियों के निराकरण तथा कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत किये जाने के संबंध में उद्योग को क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा के पत्र दिनांक 27.09.2024 को प्रेषित नोटिस का प्रतिउत्तर भी उद्योग द्वारा प्रेषित नहीं किया गया।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के अधिकारियों द्वारा उद्योग का पुनः निरीक्षण बोर्ड मुख्यालय से जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.10.2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की नोटिस दिनांक 27.09.2024 के अनुक्रम में उद्योग का निरीक्षण दिनांक 14.10.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री दयाराम की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत् नहीं पाया गया एवं ई0टी0पी0 का संचालन भी नहीं हो रहा था किन्तु ई0टी0पी0 की साफ-सफाई एवं पूर्व में संचालन से जनित उत्प्रवाह निस्तारित हो रहा था जिसका नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। एकत्रित किये गये नमूने की विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा पत्रांक-892/एस-208/2024, दिनांक 18.10.2024 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति में मै0 स्वर्ण टैक्स प्रिन्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0. डी-25, 26, कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को जारी कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर न दिये जाने तथा निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 की लॉगबुक, एनर्जी मीटर की लॉगबुक, ई0टी0पी0 से जनित स्लज की लॉगबुक एवं ई0टी0पी0 में प्रयुक्त कैमिकल की लॉगबुक इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरुद्ध जल

(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार रू0 10,000/- मात्र प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 18.10.2024 के अनुक्रम मै0 स्वर्ण टैक्स प्रिन्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0. डी-25, 26, कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए सपटित धारा-27(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै0 स्वर्ण टैक्स प्रिन्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0. डी-25, 26, कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-176921 दिनांक 21.03.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति को खण्डित (Revoke) किया जाता है।
2. यह कि मै0 स्वर्ण टैक्स प्रिन्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0. डी-25, 26, कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
3. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मै0 स्वर्ण टैक्स प्रिन्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0. डी-25, 26, कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उक्त के अतिरिक्त मै0 स्वर्ण टैक्स प्रिन्ट्स प्रा0लि0, प्लॉट नं0. डी-25, 26, कोसी कोटवन औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PIxNxRxSxLF) के अनुसार रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 02.09.2024 से दिनांक 18.10.2024 तक अर्थात् 45 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू0 4,50,000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 4,50,000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water Pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Hitesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कॉर्पोरेशन लि0, मथुरा।
3. महाप्रबन्धक जल संस्थान, मथुरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें।

Hitesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

g/c

पंजीकृत

पत्रांक : H18880 / सी-4 / सहमति-211 / बन्दी / 2024

दिनांक : 21-10-24

मै0 आर0के0 प्रोसेस,
प्लॉट नं0-एफ-88, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1,
जनपद-मथुरा।

यह कि मै0 आर0के0 प्रोसेस, प्लॉट नं0-एफ-88, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा कच्चे माल के रूप में ग्रे-जीन्स एण्ड रेडीमेड गारमेन्ट्स, डाइज एण्ड कैमिकल्स, सोप साप्टनर, कार्स्टिक सोडा, हाइड्रोजन पराक्साइड, कॉमन साल्ट, सोडा ऐश एवं कामन साल्ट आदि का प्रयोग कर कपड़ की डाइंग एण्ड वाशिंग ऑफ जीन्स एण्ड रेडीमेड गारमेन्ट्स के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा के प्राधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 14.10.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री रघुवीर साहनी, मुन्शी की उपस्थिति में करते हुए आख्या पत्र दिनांक 14.10.2024 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग उत्पादनरत पाया गया। निरीक्षण उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 50 के0एल0डी0 स्थापित है। निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा अशुद्धिकृत उत्प्रवाह सीधे बाईपास के माध्यम से उद्योग के बाहर नाले में निस्तारित किया जा रहा था। संदर्भित उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक 03.09.2024 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान ई0टी0पी0 के शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषित कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों की मात्रा मानकों से अधिक पायी गयी। निरीक्षण के समय उद्योग में ई0टी0पी0 के इनलेट एवं आउटलेट पर फ्लोमीटर एवं सैपरेट एनर्जी मीटर स्थापित नहीं पाये गये।

यह कि उद्योग को राज्य बोर्ड के आनलाइन संदर्भ सं0-189336/UPPCB/Mathura/UPPCBRO/CTO/both/Mathura/2023, दिनांक 26.07.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2024 तक सशर्त सहमति (जल/वायु) निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है एवं उद्योग द्वारा सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या भी प्रेषित नहीं की गई है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित थर्ड पार्टी संस्था द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान इकाई से एकत्रित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या मानकों से अनुरूप न पाये जाने के दृष्टिगत उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्रांक-एच17952/सी-4/सहमति-211/का0ब0नो0/2024, दिनांक 27.09.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) सपठित धारा-27(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा पत्र दिनांक 14.10.2024 द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति में मै0 आर0के0 प्रोसेस, प्लॉट नं0-एफ-88, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33(ए) के अंतर्गत दिनांक 02.07.2024 से समस्या का समाधान होने तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा जारी गाइडलाइन में वर्णित सूत्र के अनुसार रू0 10,000/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये

जाने के साथ-साथ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अंतर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 14.10.2024 के अनुक्रम मै० आर०के० प्रोसेस, प्लॉट नं०-एफ-88, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह कि मै० आर०के० प्रोसेस, प्लॉट नं०-एफ-88, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-189336/UPPCB/Mathura/UPPCBRO/CTO/both/Mathura/2023, दिनांक 26.07.2023 के माध्यम से निर्गत सहमति को खण्डित (Revoke) किया जाता है।
2. यह कि मै० आर०के० प्रोसेस, प्लॉट नं०-एफ-88, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा की औद्योगिक प्रक्रिया का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।
3. यह कि सक्षम प्राधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मै० आर०के० प्रोसेस, प्लॉट नं०-एफ-88, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा को मिलने वाली विद्युत एवं पानी की आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से विच्छेदित करते हुए उद्योग को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

उक्त के अतिरिक्त मै० आर०के० प्रोसेस, प्लॉट नं०-एफ-88, कोसी कोटवन, औद्योगिक क्षेत्र, विस्तार-1, जनपद-मथुरा के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइडलाइन में वर्णित सूत्र (EC=PIxNxRxSxLF) के अनुसार रू० 10,000/- प्रतिदिन की दर से निरीक्षण दिनांक 02.07.2024 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 14.10.2024 तक अर्थात् 105 उल्लंघन दिवसों हेतु कुल रू० 10,50,000/- (रूपया दस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उद्योग के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 10,50,000/- (रूपया दस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान Dedicated Account जिसका payment gateway का URL: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB> तथा Nature of Pollution-Water pollution एवं EC imposed in compliance-UPPCB पर एक सप्ताह के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करें। जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

Atul K. Yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, मथुरा।
3. महाप्रबन्धक जल संस्थान, मथुरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर बन्दी की अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करें।

Atul K. Yadav.
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

AM

मैसर्स वैष्णवी टैक्स प्रिन्ट, प्लॉट सं०-ई-124, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटवन, विस्तार-1, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य" के अनुक्रम में सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 03.09.2024 को अधोहस्ताक्षरीकर्ताओं द्वारा किया गया, निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री राम निहोर यादव उपस्थित थे तथा उद्योग उत्पादनरत पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-


1. संदर्भित उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में ग्रे काटन एण्ड पॉलिस्टर फैब्रिक, डाइज, पिगमेंट, डाइंग प्रिन्टिंग केमिकल्स, ब्लीचिंग पाउडर, कार्बिक सोडा, कॉमन सॉल्ट, सॉफ्टनर आदि का प्रयोग कर डाइंग एण्ड ब्लीचिंग ऑफ कौटन फैब्रिक-2.5 मीट्रिक टन/दिन, डाइंग एण्ड ब्लीचिंग ऑफ पॉलिएस्टर फैब्रिक-2.5 मीट्रिक टन/दिन एवं प्रिन्टिंग ऑफ फैब्रिक (निट्स एवं यूवेन)-2.0 मीट्रिक टन/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग निजी नलकूपों के माध्यम से घरेलू प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया में जल की खपत ब्यायलर में वाष्प जनन एवं उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जाती है।
3. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 400 क०एल०डी० स्थापित है। घरेलू प्रयोजन से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सैप्टिक टैंक व सोकपिट स्थापित है। उद्योग में स्थापित ई०टी०पी० की प्रमुख इकाईयां निम्नवत् हैं-

1 वार स्क्रीन	2 इक्वलाइजेशन टैंक
3 रिएक्शन टैंक	4 फ्लॉकुलेशन टैंक
5 प्राइमरी ट्यूब सेटलर	6 एयरेशन टैंक
7 सैकेण्ड्री सेटलिंग टैंक	8 बफर टैंक
9 एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर	10 मल्टीग्रेड फिल्टर
11 रोटरी ब्लोअर	12 फिल्टर प्रेस

निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों की मात्रा निर्धारित बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी (विश्लेषण आख्या की छायाप्रति संलग्न)।

4. उद्योग में वायु प्रदूषण का प्रमुख श्रोत 3.0 टन प्रति घण्टा वाष्प जनन क्षमता एवं थर्मोपैक-10 लाख किलो कैलोरी का स्थापित है, जिसमें फ्लूगैस उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन टाइप डस्ट कलेक्टर के साथ भू-तल से 30.0 मीटर ऊँची संयुक्त चिमनी स्थापित है।
5. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के सन्दर्भ सं०-186410/UPPCB/Mathura (UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2023 दिनांक 28.06.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2027 तक सशर्त सहमति जल निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।



(चन्द्रशेखर)

सहा०पर्या० अभियन्ता



(आर०सी० सिंह)

सहा०वैज्ञा० अधिकारी


क्षेत्रीय अधिकारी महोदय।


मै0 जैनको इण्डिया, प्लॉट सं0-डी-22, औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटवन, कोसी कलां, तहसील-छाता, मथुरा के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या।

उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-586/2023, "नरेन्द्र सिरोही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" के अनुक्रम में सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 02.09.2024 को अधोहस्ताक्षरीकर्ताओं द्वारा किया गया, निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री विवेक कुमार उपस्थित थे तथा उद्योग उत्पादन रत पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-

1. संदर्भित उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में वेस्ट टायर/यूज्ड टायर का प्रयोग कर टायर पायरोलेसिस प्रक्रिया द्वारा रबर प्रोसेसिंग ऑयल-12.25 टन/दिन, कार्बन पाउडर-10.500 टन/दिन एवं आयरन स्क्रैप-4.550 टन/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया में जल का प्रयोग क्लिंग एवं घरेलू प्रक्रिया में किया जाता है।
3. उद्योग में स्क्रबर जल के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 1.0 के0एल0डी0 स्थापित है। ई0टी0पी0 शुद्धिकृत उत्प्रवाह का प्रयोग स्क्रबिंग में कर लिया जाता है। कभी-कभी शुद्धिकृत उत्प्रवाह परिसर से बाहर निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय ई0टी0पी0 संचालित पाया गया। ई0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों की मात्रा निर्धारित बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी (विश्लेषण आख्या की छायाप्रति संलग्न)। घरेलू प्रयोजन से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सैटिक टैंक व सोकपिट स्थापित है।
4. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान रिएक्टर को प्रारंभिक अवस्था में गर्म करने हेतु ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है तथा तापमान 170 डिग्री सेंटीग्रेट होने अथवा पायरोलेसिस प्रक्रिया प्रारम्भ होने/पायरो गैस जनित होने के बाद ईंधन के रूप में पायरो गैस का ही प्रयोग होने लगता है।
5. उद्योग में उत्पन्न होने वाली अतिरिक्त पायरो गैस को 30 मीटर ऊँची चिमनी (फ्लेयर) के माध्यम से जलाया जाता है।
6. उद्योग द्वारा मै0 भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट, कानपुर से परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सदस्यता प्राप्त की है।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के सन्दर्भ सं0-212737/UPPCB/Mathura (UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2024 दिनांक 19.06.2024 के माध्यम से दिनांक 31.07.2029 तक सशर्त सहमति जल निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(चन्द्रशेखर)
सहा0पर्या0 अभियन्ता


(अरु0वी0 सिंह)
सहा0वैज्ञा0 अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय




मैसर्स टी0डी0 प्रोसेस, प्लॉट सं0-एफ-53, औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटवन, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-586/2023 नरेन्द्र सिरौही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" के अनुक्रम में सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 03.09.2024 को अघोहस्ताक्षरीकर्ताओं द्वारा किया गया, निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री नामराज उपरिथत थे तथा उद्योग उत्पादनरत पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-


- संदर्भित उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में सिंथेटिक/कॉटन फैब्रिक, ग्रे जीन्स, हाइड्रोजन पराक्साइड, सोडा ऐश, कार्बोनाट सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोप, डिटर्जेंट व कॉमन सॉल्ट आदि का प्रयोग कर डाइंग एण्ड ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक-200 मीटर/दिन एवं डाइंग एण्ड वॉशिंग ऑफ जीन्स-1500 नग प्रतिदिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
 - उद्योग में जल का प्रयोग निजी नलकूपों के माध्यम से घरेलू प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया में जल की खपत ब्वायलर में वाष्प जनन एवं उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जाती है।
 - उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक-उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 45 कं0एल0डी0 स्थापित है। घरेलू प्रयोजन से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सैप्टिक टैंक व सोकपिट स्थापित है। उद्योग में स्थापित ई0टी0पी0 की प्रमुख इकाईयां निम्नवत् हैं-

1 बार स्क्रीन	2 इक्वलाइजेशन टैंक
3 रिएक्शन टैंक	4 ट्यूब सेटलर
5 बफर टैंक	6 मल्टीग्रेड फिल्टर
7 एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर	8 आर0ओ0 प्लांट
9 स्लज डाइंग बेड्स	
- निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों की मात्रा निर्धारित बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी (विश्लेषण आख्या की छायाप्रति संलग्न)।
- उद्योग में वायु प्रदूषण का प्रमुख श्रोत 1.0 टन प्रति घण्टा वाष्प जनन क्षमता का स्थापित है, जिसमें फ्लूगैस उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में साइक्लोन टाइप डस्ट कलेक्टर के साथ भू-तल से 30.0 मीटर ऊँची संयुक्त चिमनी स्थापित है।
 - कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के सन्दर्भ सं0-183497/U PPCB/Mathura (UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2023 दिनांक 09.06.2023 के माध्यम से दिनांक 31.12.2026 तक सशर्त सहमति जल निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(चन्द्रशेखर)

सहा0पर्या0 अभियन्ता


(आरु0वी0 सिंह)

सहा0वैज्ञा0 अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय।





मो एस0पी0एस0 प्रोसेसर्स प्रा0लि0, प्लॉट सं0-ए-2, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटवन, तहसील-छाता, मथुरा के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या।

उपरोक्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-588/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य" के अनुक्रम में सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक 03.09.2024 को अघोहस्ताक्षरीकर्ताओं द्वारा किया गया, निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री सतीश कलवालिया उपस्थित थे तथा उद्योग उत्प्रेरक पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-


1. संदर्भित उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में आयरन पाउडर, नेप्थालीन, ओलियम, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लाइम स्टोन, सोडियम साल्ट, सोडा ऐश, कार्बिक सोडा, स्पेन्ट सल्फ्यूरिक एसिड, मैथेलान आदि का प्रयोग कर रिएक्टिव ब्लैक-150 मीट्रिक टन/माह, रिएक्टिव नेव ब्लू-50 मीट्रिक टन/माह, विनायल सल्फोन-150 मीट्रिक टन/माह, सल्फ्यूरिक एसिड-400 मीट्रिक टन/माह का उत्पादन कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक प्रक्रिया में तथा घरेलू प्रक्रिया में किया जाता है।
3. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रेरक के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रेरक शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता 50 के0एल0डी0 (जैड0एल0डी0) स्थापित है। शुद्धिकरण के उपरान्त जल को पुनः प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण के समय संदर्भित उद्योग जीरो लिक्विड डिस्चार्ज आधारित पाया गया। शुद्धिकृत उत्प्रेरक जनित न होने के कारण नमूना एकत्रित नहीं, किया जा सका।
4. उद्योग में वायु प्रदूषण का प्रमुख श्रोत 10 टन प्रति घण्टा वाष्प जनन क्षमता ब्लॉयलर, 10 टन प्रति घण्टा क्षमता का ब्लॉयलर स्टैंडबाई के रूप में एवं 6.0 लाख किलो कैलोरी का थर्मोफ्यूल हीटर स्थापित है, जिसमें फ्लूगैस उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर के साथ भू-तल से 30.0 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है।
5. उद्योग द्वारा मै0 शीतला वेस्ट मैनेजमेन्ट, बुलंदशहर से परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सदस्यता प्राप्त की है।
6. उद्योग द्वारा भूगर्भ विभाग से जल निष्कर्षण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।
7. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के सन्दर्भ सं0-135401/UPPCB/Mathura (UPPCBRO)/CTO/water/MATHURA/2021 दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से सहमति जल एवं सन्दर्भ सं0-135402/UPPCB/Mathura(UPPCBRO)/CTO/air/MATHURA/2021 दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से सहमति वायु अवधि-31.12.2025 तक सशर्त निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(चन्द्रशेखर)
सहा0पर्या0 अभियन्ता


(आरुण सिंह)
सहा0वैज्ञा0 अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय।



मैसर्स श्रीजी पॉलीफैब प्रा०लि०, प्लॉट सं०-एच-६०, औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटवन, विस्तार-१, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा के सम्बन्ध में अद्यतन निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-५८६/२०२३ "नरेन्द्र सिरोही बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य" के अनुक्रम में सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण दिनांक ०३.०९.२०२४ को अधोहस्ताक्षरीकर्ताओं द्वारा किया गया, निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री राजीव दुआ उपस्थित थे तथा उद्योग उत्पादनरत पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है-


- संदर्भित उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में सिंथेटिक/कॉटन फैब्रिक, ग्रे जीन्स, हाइड्रोजन पराक्साइड, सोडा ऐश, कार्बोनाट सोडा, ब्लिचिंग पाउडर, सोप, डिटर्जेंट व कॉमन सॉल्ट आदि का प्रयोग कर डाइंग एण्ड ब्लिचिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक-२०००० मीटर/दिन एवं यार्न-१.५ मीट्रिक टन/दिन एवं पॉलिस्ट फैब्रिक-३०००० मीटर/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
- उद्योग में जल का प्रयोग निजी नलकूपों के माध्यम से घरेलू प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रक्रिया में किया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया में जल की खपत ब्याम्पलर में वाष्प जनन एवं उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जाती है।
- उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से जनित औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र क्षमता ६० के०एल०डी० (जैड०एल०डी०) स्थापित है। घरेलू प्रयोजन से जनित घरेलू उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु सैप्टिक टैंक व सोकपिट स्थापित है। उद्योग में स्थापित ई०टी०पी० की प्रमुख इकाईयां निम्नवत् हैं-


1	बार स्क्रीन	2	इक्वलाइजेशन टैंक
3	रिएक्शन टैंक	4	ट्यूब सेटलर
5	बफर टैंक	6	मल्टीग्रेड फिल्टर
7	एक्टीवेटेड कार्बन फिल्टर	8	आर०ओ० प्लाण्ट
9	स्लज डाइंग बेड्स	10	एम०ई०

निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालय, मथुरा की प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु जमा कराया गया है। विश्लेषण आख्यानुसार प्रचालकों की मात्रा निर्धारित बोर्ड मानकों के अनुरूप पायी गयी (विश्लेषण आख्या की छायाप्रति संलग्न)।

- उद्योग में वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत ६.० टन प्रति घण्टा का बॉयलर वाष्प जनन क्षमता एवं २ लाख किलो कैलोरी का थर्मोफ्यूल हीटर का स्थापित है, जिसमें फ्लूगैस उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में साइक्लोन टाइप डस्ट कलेक्टर के साथ भू-तल से ३०.० मीटर ऊँची संयुक्त चिमनी स्थापित है।
- कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के सन्दर्भ सं०-१९७३७२/UPPCB/Mathura (UPPCBRO)/CTO/both/MATHURA/2023 दिनांक ३०.०१.२०२४ के माध्यम से दिनांक ३१.१२.२०२८ तक सशर्त सहमति जल निर्गत की गयी है, जिसमें वर्णित शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा किया जा रहा है।

निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।


(चन्द्रशेखर)
सहा०पर्या० अभियन्ता


(आर०वी० सिंह)
सहा०वैज्ञा० अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय।





क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं०-65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 686 (B)/0-105/2024
सेवा में

दिनांक 05/09/2024
पंजीकृत/नोटिस

मै० वैष्णवी टैक्स प्रिन्ट,
प्लॉट सं०-ई-124, औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटवग, धिरतार-1,
तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।


विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। पूर्व में पारित आदेश के अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक-24.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग में निम्न कमियां पायी गयी-

- 1- Unit has shall apply for No Objection Certificate (NOC) from CGWA for groundwater abstraction.
- 2- Unit shall install flowmeters at borewell at ETP inlet and ETP outlet.
- 3- Unit shall install OCEMS at ETP outlet.
- 4- Unit shall maintain logbooks for solid waste generation & disposal, chemical consumption and electricity consumption.

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 के अनुपालन में संयुक्त टीम द्वारा पायी गयी कमियों का अतिशीघ्र अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 की अवहेलना में राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग का होगा।

भवदीय


(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं०-65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 606(A)/0-105/2024

दिनांक 05/09/2024
पंजीकृत/नोटिस

सेवा में

मै० श्रीजी पॉलीफैब,
प्लॉट सं०-एच-60, औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटपन, विस्तार-1,
तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।


विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। पूर्व में पारित आदेश के अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक-24.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग में निम्न कमियां पायी गयी-

- 1- Unit shall expedite renewal of its CTO under Air and Water Act.
- 2- Unit shall rectify the non-working flowmeter installed at its second borewell for proper maintenance of logbook.
- 3- Unit shall maintain logbooks for ETP inlet, ETP outlet, Sludge collection, borewell water abstraction, daily production and Chemicals consumed in ETP.

तत्कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 के अनुपालन में संयुक्त टीम द्वारा पायी गयी कमियों का अतिशीघ्र अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 की अवहेलना में राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग का होगा।

भवदीय


(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं०-65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 570(A)/0 105/2024
सेवा में

दिनांक 09/08/2024

पंजीकृत/नोटिस

मै० जैनको इण्डिया,
प्लॉट सं०-डी-22, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कोसी कोटवन,
औद्योगिक क्षेत्र, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 'नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 'नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। पूर्व में पारित आदेश के अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक-23.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग में निम्न कमियां पायी गयीं-

- 1- Unit shall produce NOC for CGWA for groundwater abstraction.
- 2- Unit shall install flow meter at ETP inlet and outlet.
- 3- Unit shall install flow meter at borewell.
- 4- Unit shall install separate energy meter at ETP unit.
- 5- Unit shall install OCEMS at ETP outlet.
- 6- Unit shall maintain logbooks for ETP inlet, outlet, electricity consumption, daily analysis of ETP inlet & outlet parameters and chemicals consumed in ETP.
- 7- Unit shall maintain raw material (Tyre) and productions log book.
- 8- Unit shall maintain logbook for sludge collection.

तत्कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 'नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य' में आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 'नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य' में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 की अवहेलना में राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग का होगा।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं०-65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: 570(B)/0-105/2024

सेवा में

दिनांक 09/08/2024

पंजीकृत/नोटिस

मै० वोदल कैमिकल प्रा०लि० (पूर्व नाम मै० एसपीएस प्रोसेसर्स),
प्लॉट सं०-ए-2, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, कोसी कोटवन,
औद्योगिक क्षेत्र, तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। पूर्व में पारित आदेश के अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक-23.01.2024 को किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग में निम्न कमियां पायी गयी-

- 1- Unit shall install OCEMS at the outlet of ETP.
- 2- Unit shall provide supporting logbooks where MEE & ATFD condensate are being used.
- 3- Unit shall provide supporting documents logbooks where RO reject is being used.

तत्कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि मा० मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 के अनुपालन में संयुक्त टीम द्वारा पायी गयी कमियों का अतिशीघ्र अनुपालन कराते हुए अनुपालन आख्या इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में य०ए० सं०-586/2023 "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-24.07.2024 की अवहेलना में राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग का होगा।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
Regional Office, U.P. Pollution Control Board
भवन सं०-65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड, मथुरा

पत्रांक: ५७०(८)/०-१०५/२०२५

दिनांक ०९/०८/२५

सेवा में

मै० टी०डी० प्रोसेस,
प्लॉट सं०-एफ-५५, औद्योगिक क्षेत्र, कोसी कोटवन, विस्तार-१,
तहसील-छाता, जनपद-मथुरा।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-५८६/२०२३ "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-२४.०७.२०२४ के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०-५८६/२०२३ "नरेन्द्र सिरौही बनाम स्टेट ऑफ उ०प्र० एवं अन्य" में पारित आदेश दिनांक-२४.०७.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करें। पूर्व में पारित आदेश के अनुक्रम में संयुक्त टीम द्वारा आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक-२४.०१.२०२४ को किया गया था। जिसमें आपके उद्योग का पुनः निरीक्षण किये जाने हेतु सुझाव निर्गत किये गये थे। तत्क्रम में आपके उद्योग का निरीक्षण दिनांक ०३.०९.२०२४ को किया गया। निरीक्षण के समय आपके उद्योग को निर्गत सहमति जल एवं वायु के संबंध में अनुपालित आख्या प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक अनुपालन आख्या कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

तत्क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक ०९.०६.२०२३ को सहमति जल एवं वायु दिनांक ३१.१२.२०२६ तक निर्गत है के क्रम में अनुपालन आख्या शीघ्र प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा कि दशा में राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग का होगा।

भवदीय

(पंकज यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-४), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

EA No. 18/2024 In Original Application No. 586/2023 Narender Sirohi t Vs State of Uttar Pradesh

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: mansichahal104@gmail.com; puransharmaadv63@gmail.com

Date: Tuesday, October 22, 2024 at 10:49 AM GMT+5:30

Sir/Madam,

Please find attached the Document

With Regards,

(PRADEEP MISRA)



Narender Sirohi.pdf

2MB